प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 10-05-2019 दिन शुक्रवार जनपद लखनऊ।.

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनाँक 09/10-05-2019 की रात्रि में विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में थाना पारा 02, पी0जी0आई0 01, गोसाईगंज 02, नगराम 01 एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना इटौंजा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 06 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

अभियुक्त गिरफ्तार।

नगराम:-दिनांक 10-05-2019 को थाना नगराम द्वारा बताया गया कि दिनांक 09-05-2019 को वादी निवासी नगराम थाना नगराम लखनऊ द्वारा थाना नगराम पर अपनी 16 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 376 भादवि व धारा 5/6 पोस्को एक्ट का अभियोग बनाम 1-राजेश के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना थाना प्रभारी नगराम लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज दिनांक 10-05-2019 को** थाना प्रभारी नगराम लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **1-राजेश पुत्र टिनई निवासी नगराम थाना नगराम लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र नगराम से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना नगराम पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

इटौंजा:-दिनांक 10-05-2019 को थाना इटौंजा द्वारा बताया गया कि वादी श्री सत्यपाल सिंह पुत्र भगौती सिंह निवासी ईरापुर सुतौली पोस्ट चन्द्रसेनी थाना रेऊसा जनपद सीतापुर ने थाना इटौंजा पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10-05-2019 को वादी के बड़े भाई तेजपाल सिंह पुत्र भगौती सिंह अपनी मोटर साइकिल नं0 यूपी 34 एक्यू-1716 से लखनऊ से अपने घर आ रहे थे। आज दिनांक 10-05-2019 को समय प्रातः 05.00 बजे से 06.00 बजे के मध्य मानपुर मण्डी के पास ट्रक नं0 एमपी-09-एचएच-6942 के चालक नाम पता अज्ञात ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के भाई की मोटर साइकिल में टक्कर मार दिया, जिससे वादी का भाई गम्भीर रुप से घायल हो गया। जिसको उपचार हेतु सै0 सैय्या अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डाक्टरो द्वारा वादी के भाई तेजपाल सिंह उम्र करीब 48 वर्ष को मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर मु0अ0सं0 130/2019 धारा 279/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री संजीव कुमार**

त्यागी मो0नं0 7701945890 द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक खेती करता था। ट्रक कब्जे में है।

मोहनलालगंज:-दिनांक 10-05-2019 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री नन्दीलाल पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम दीवानगंज थाना मोहनलालगंज लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी के पिता ने 10 बिस्वा जमीन बेची थी, जिसमें वादी का भाई कल्लू वादी के पिता से रुपयों की मांग करता था। वादी के पिता कहते थे, कोई अच्छा काम/कारोबार करो, पैसा दे दूंगा, दारु (शराब) के लिए पैसा नही दूंगा। इसी बात को लेकर वादी के भाई कल्लू ने भाई के पिता प्यारेलाल उम्र करीब 68 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी है। वादी के पिता खेत में इंजन पर लेटे थे। आज दिनांक 10-05-2019 को प्रातः वादी की चाची जब इंजन पर गयी तो उन्होने वादी के पिता को मृत देखकर रोते हुए सारी बात घर पर बताई, तब वादी अपने परिवार व मोहल्ले के लोगो को साथ लेकर मौके पर पहुंचा, तो भीड़ से कल्लू भाग गया है। उपरोक्त घटना बीति रात्रि की है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 231/2019 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक खेती करता था।**